बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ।

:: संकल्प ::

संकल्प सं0-मं0मं0ि/आर-41/2005 1757 /पटना=15, दिनांक- 30 जुलाई, 2005ई0

विषय:- पिटमेंट कमिटी की अनुशंसाओं के आलोक में केन्द्र के अनुरूप सेवा/संवर्ग नियमावलियों का गठन ।

पिटमेंट कमिटी की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य सेवाओं/संवर्गों की सेवा शर्तों को केन्द्र सरकार में लागू सेवाशर्त्तों के यथासंभव अनुरूप करने का सरकार का निर्णय है । तद्नुरूप प्रत्येक विभाग को अपने अधीनस्थ सेवा/संवर्गों के लिए संवर्गीय नियमावली का गठन करना है । इस हेतु वित्त विभागीय पत्रांक-3241/वि0§2§ दिनांक-13-05-2000 द्वारा सभी विभागों को अपेक्षित मार्गनिदेश दिया जा चुका है । समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा भी इस हेतु स्मारित किया जाता रहा है । परन्तु, इसके बावजूद विभिन्न सेवाओं/संवर्गों की नियमावली अभी तक गठित नहीं की जा सकी है ।

2- जनवरी, 2005 में विभिन्न कर्मचारी संघों के साथ हुई सहमति के आलोक में भी ऐसी नियमावलियों गठित किए जाने का निर्णय संसूचित किया गया है । फिर भी, इस दिशा मे अपेक्षित कार्रवाई नहीं हो पायी है ।

3- अतः सेवा/संवर्ग नियमावली के त्वरित गठन की अनिवार्यता को दृष्टिगत रखते हुए नियमावली- प्रारूप पर विचार-विमर्शकर उसे सरकार के अनुमोदन हेतु अन्तिम रूप दिये जाने के प्रयोजनार्थ एक प्राधिकृत समिति का गठन निम्नानुसार करने का निर्णय लिया गया है:-

§1§ आयुक्त एवं सचिव/सचिव, कार्मिक एवं प्र0सु0विभाग- - संयोजक
§2§ संबंधित विभाग के आयुक्त एवं सचिव/सचिव- - सदस्य
§3§ सचिव, विधि विभाग- - सदस्य
§4§ वित्त विभाग के संयुक्त सचिव स्तर से अन्यून कोटि के पदाधिकारी- - सदस्य

उपरोक्त समिति की बैठक आयुक्त एवं सचिव/सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा उनके कार्यालय कक्ष मे आयोजित की जाएगी ।

-कृ0पृ0अ0-

4- संबंधित विभाग नियमावली प्रारूप की एक प्रति संबंधित आवश्यक कागजात के साथ वित्त विभाग, विधि विभाग एवं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को एक ही साथ उपलब्ध करा देंगे, ताकि बैठक के पूर्व उक्त विभागों में उसकी समीक्षा कर बैठक में आने के पूर्व मत गठित कर लिया जा सके। विधि विभाग द्वारा यदि प्रस्ताव पर महाधिवक्ता के परामर्श की आवश्यकता समझी जायेगी, तो प्रारूप पर विधि विभाग अपने स्तर से ऐसी कार्रवाई बैठक के पूर्व कर लेंगे।

5- उक्त आलोक में सभी विभाग अपने नियंत्रणाधीन सेवाओं/विभागों की नियमावली के प्रारूप को उपर्युक्त कंडिका-4 के अनुसार वित्त विभाग, विधि विभाग तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को अविलम्ब भेज देंगे। वित्त विभाग, विधि विभाग तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग नियमावली का प्रारूप प्राप्त होने के 15 दिनों के अन्दर उसकी समीक्षा कर समिति के विचारार्थ तैयार कर लेंगे। उक्त समिति द्वारा विचारोपरान्त नियमावली प्रारूप को अन्तिम रूप देने के बाद प्रारूप में वित्त विभाग, विधि विभाग तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग की सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी और तत्पश्चात् संबंधित विभागों द्वारा उस पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया जा सकेगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति समिति के सदस्यों, सभी विभाग तथा सभी विभागाध्यक्ष को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(शशि शेखर शर्मा)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-म०मं०1/आर०-41/2005 ____/पटना-15, दिनांक- 30 जुलाई, 2005ई०

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ तथा इसकी 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने हेतु प्रेषित।

(शशि शेखर शर्मा)
सरकार के सचिव।

-कृ०पृ०उ०-

ज्ञापांक-मं०प०1/आर०-41/2005_1757_/पटना-15, दिनांक- 30 जुलाई, 2005ई०।

प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार, पटना/ राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/ वित्त आयुक्त, बिहार, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, [illegible] एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना/ सरकार के सभी विभाग/ सभी वि[illegible] [illegible]ध्यक्ष को सूचना एवं अपेक्षित कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शशि शेखर शर्मा)
सरकार के सचिव ।